

Title: Need to accord approval for setting up of branches of State Consumers Grievances Redressal Cell at Sambhajinagar (Aurangabad) and Nagpur.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महाराष्ट्र सरकार ने उपभोक्ता अधिनियम, 1986 का पूरी निष्ठा से कार्यान्वयन किया है। राज्य तथा जिला स्तर पर वहां उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।

राज्य की उपभोक्ता संरक्षण परिषद के प्रस्ताव पारित करके मांग की है कि केन्द्रीय सरकार संभाजीनगर (औरंगाबाद) तथा नागपुर में राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग स्थापित करने की अनुमति दें।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य की इस मांग को स्वीकृति दें।